


उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-01
संख्या-1284/1/2018-02/06/2018
देहरादून : दिनांक : 5 दिसम्बर, 2018

संशोधित अधिसूचना।


मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-14697/2015 State of Gujarat & Ors. Vs. Utility User's Welfare Association & Ors. में पारित आदेश दि0-12-04-2018 द्वारा प्रत्येक राज्य के विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (विधि) की नियुक्ति की अनिवार्यता किये जाने के अनुपालन में अधिसूचना सं0-1250/1/2004-02(3)/20/2003 दि0-11 मार्च, 2005 के द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-82 की उपधारा-(4) के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में 03 सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) जिनमें 01 सदस्य (तकनीकी) एवं 01 सदस्य (वित्तीय विशेषज्ञ) का पद निर्धारित है, में से सदस्य (वित्तीय विशेषज्ञ) के पद को परिवर्तित करते हुये सदस्य (विधि) का पद निर्धारित किये जाने की माननीय राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


(राधिका झा)
सचिव।

सं0-1284 (2)/1/2018-02/06/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 विभागीय मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रैस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशन कर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।